

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. चक्रवर्ती अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर कार्य करते रहते।

रायपुर, दिनांक 3 मई 2008

क्रमांक 489/339/2008/1-8/स्था.— श्री सी. एस. डेहरे, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 29-4-2008 से 13-5-2008 तक 15 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री सी. एस. डेहरे को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।
3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. एस. डेहरे अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर कार्य करते रहते।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मई 2008

क्रमांक S36/तक. विधान/टीसी/08.— छत्तीसगढ़ मोटरवाहन करानुसंधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा आरक्षित प्रक्रम वाहन कर (स्पेयर टैक्स) को छोड़कर, वैध परमिट (अस्थायी तथा स्थायी) के अन्तर्गत आने वाले तथा संचालित सभस्त प्रक्रम वाहन हेतु, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्घरण्य वाहन के भुगतान से आंशिक रूप में नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट मार्गों पर छूट प्रदान करती है :—

सारणी

स. क्र. (1)	मार्ग का नाम (2)
1.	दोरनापाल से जगरगुण्डा, ढाया पोलमपल्ला, चिन्तागुणा, चित्तनर
2.	किरन्दुल से जगरगुण्डा, ढाया पालनार, अरनपुर
3.	बीजापुर से मिरतुरे, ढाया गंगालूर, भैरमगढ़
4.	बीजापुर से जगरगुण्डा, ढाया आवापल्ली, वासागुण्डा
5.	नैमड़ से बेदरे, ढाया कुटरू
6.	बीजापुर से पुजारी कांकेर, ढाया आवापल्ली, उसुर
7.	इंजम से भेजी, ढाया कौटा, गौरडा

उपरोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :—

1. उक्त अधिनियम के प्रथम अनुसूची के मद 4 के उपमद (ड) के सरल क्रमांक (1) के अधीन उद्घरण्य आरक्षित प्रक्रम वाहन कर (स्पेयर टैक्स) निवर्तित रूप से भुगतान किया जायेगा।

2. उक्त अधिनियम के प्रथम अनुसूची के मद 4 के उपमद (ब) के अर्थात् कर को पूर्ण छूट प्राप्त होगी
3. प्रक्रम वाहनों का संचालन उक्त मार्गों पर वैध परमिटों के अन्तर्गत ही किया जायेगा.

No. 536/Tak. Vidhan/TC/08.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government hereby exempts, in part from payment of tax leviable under section 3 of the said Act, to all stage Carriages covered by and operating under valid permits (Temporary or substantive), except the Reserve Stage Carriage Tax (Spare Tax) on the routes as specified in the table below :—

TABLE

S. No. (1)	Routes (2)
1.	Dornapal to Jagargunda Via Polampalli, Chintagufa, Chintnar
2.	Kirandul to Jagargunda Via Palnar, Arnpur
3.	Bijapur to Mirtur Via Gangalur, Bhairamgarh
4.	Bijapur to Jagargunda Via Avapalli, Vasaguda
5.	Naened to Bedra Via Kutroo
6.	Bijapur to Pujari Kanker Via Avapalli, Usur
7.	Injram to Bheji Via Konta, Gorkha.

The above exemption shall be subject to following conditions :—

1. The reserve Stage Carriage Tax (Spare Tax) leviable under serial No. (1) of sub-item (c) of item IV of the First Schedule of the said Act, shall be paid regularly.
2. The total exemption of tax shall be under sub-item (d) of item IV of the First Schedule of the said Act.
3. Stage Carriages shall be plied on the above routes only on valid permits.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2008

क्रमांक एक 1-7/2004/11/(6).—विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन एतद्वारा श्री आर. आर. राजभानू, निरीक्षक, फार्म एवं संस्थाएं, बिलासपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सहायक पंजीयक, फार्म एवं संस्थाएं के पद पर वेतनमान 8000-275-13500 में पदोन्नत करता है.

1. पदोन्नति पश्चात् श्री आर. आर. राजभानू, निरीक्षक, को श्री डी. डी. महंत, सहायक पंजीयक, रायपुर को पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त पद पर सहायक पंजीयक फार्म एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर परस्थ किया जाता है. श्री राजभानू को छत्तीसगढ़ सोमायटी राजपत्रियोग अधिनियम 1973 एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम 1992 की सहायक पंजीयक की शक्तियां प्राप्त होंगी.

ध्यानपूर्वक किया जाता है कि इस पदोन्नति के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) विधायक 2003 के अर्थात् निर्धारित आदेशों में उक्त पदोन्नति विद्यमान है.